


18.06.2024:-पत्रावली पेशी मे आई। प्रार्थी वकील अनुपस्थित।
पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन
पाया कि पूर्व पेशी आदेशिका दिनांक 15.04.2024 के
अनुसार पत्रावली मे वादी व वादी अधिवक्ता को
बार-बार आवाज लगाई गई। अवाज लगाने के
उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्थित नही
आये। प्रार्थी व प्रार्थी अधिवक्ता के उपस्थित नही
आने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी अदम पैरवी/अदम
हाजरी मे खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से
कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।


सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़